राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-।।
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत सूचना

क्रमांक	अपेक्षित सूचना	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का उत्तर
1.5	**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और लोक लेखा समिति (पीएसी) अनुच्छेद**	
1.5.1	लोक प्राधिकारी सीएजी और पीएसी अनुच्छेदों और कृत कार्रवाई रिपोर्टों को केवल उनके संसद के दोनों सदनों के पटलों पर प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही पूर्ण सक्रियतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं तथापि राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों से संबंधित सूचना से संबंधित सीएजी अनुच्छेदों और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को छूट होगी।	तीन (3) लेखा परीक्षा अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुल 15 लंबित लेखा परीक्षा अनुच्छेदों में से (12) लेखा परीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के दिनांक 12/07/2022 के पत्र के अंतर्गत सीएजी को निपटान हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इन तीन (3) लेखा परीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर तैयार करें की प्रक्रिया में है एवं उन्हें उनके निपटान के लिए सी एजी को अग्रेषित कर दिया जाएगा। तथापि संसद के दोनों सदनों के पटलों पर प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे के अद्यतन आंकड़े लेखा परीक्षा के पश्चात उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
1.7	**विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान**	
1.7.1	मंत्रालय/विभाग द्वारा राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों को दिए गए विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदानों/आवटनों को संबंधित मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। जिन विधिक संस्थाओं को लोक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाए जाते	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को प्रति वर्ष सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन हैं और सीएजी द्वारा लेखे की लेखा परीक्षा कर लेने के

<table>
<tr><td></td><td>हैं। उन सभी के वार्षिक लेखे प्रकाशन, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष माध्यम से लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएं। ये प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 08 से 11 तक के प्रावधानों के साथ सशर्त होंगे।</td><td>पश्चात वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>धारा 4(ठ) (ख)(xi) हेतु दिशा-निर्देश "समस्त योजनाओं के विवरणों, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित किए गए बजट"</td><td></td></tr>
<tr><td>3.5.1</td><td>अपने बजटों को प्रकट करते समय लोक प्राधिकरण निम्नलिखित दायित्व लेंगे :-</td><td></td></tr>
<tr><td>क)</td><td>सरकारी बजटों की तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मंत्रालय/विभाग अपने बजटों के सरल संस्करण तैयार करें जिन्हें जन-साधारण सरलता से समझ सके और उन्हें सार्वजनिक पहुँच में रखा जाए। बजट एवं आवधिक निगरानी रिपोर्टों, रेखाचित्रों एवं सारणियों आदि के माध्यम से अधिक प्रयोक्ता अनुकूल प्रकार से प्रस्तुत की जाएं।</td><td>वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन निम्नानुसार हैं
(रु. लाख में)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>शीर्ष</th><th>गैर-पूर्वोत्तर</th><th>पूर्वोत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामान्य वेतन</td><td>2148.00</td><td>126.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सामान्य गतिविधि</td><td>2120.00</td><td>144.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पूँजी निर्माण</td><td>9.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अनुसूचित जाति गतिविधियाँ</td><td>140.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुसूचित जाति वेतन</td><td>142.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अनुसूचित जनजाति गतिविधियाँ</td><td>69.00</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अनुसूचित जनजाति वेतन</td><td>70.00</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>4698.00</td><td>3000.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे परिणाम बजट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए और उसका उपयोग बजटीय अवधि के दौरान नियोजित भौतिक लक्ष्यों और उन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि की</td><td>परिणाम बजट 2021-2022 की प्रति संलग्न है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>पहचान करने हेतु किया जाए। कर्नाटका द्वारा रिपोर्टिंग हेतु अपनायी जा रही मासिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कैलेंडर पद्धति एक उपयोगी आदर्श है</td><td></td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>विभिन्न स्वायत्त संगठनों/सांविधिक संगठनों/संबद्ध कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/गैर सरकारी संगठनों /निगमों आदि को जारी की गई। निधियों को तिमाही आधार वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और इस प्रकार के प्राधिकरणों के बजट मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के लिंकों के माध्यम से पहुँचने योग्य बनाए जाएं। यदि किसी अनुषंगी की वेबसाइट न हो तो उससे बजट एवं व्यय की रिपोर्ट ली जाए।</td><td>गैर-पूर्वोत्तर एवं पूर्वोत्तर के अंतर्गत जारी निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं :-
(रु. लाख में)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>शीर्ष</th><th>गैर-पूर्वोत्तर</th><th>पूर्वोत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामान्य वेतन</td><td>2139.09</td><td>114.22</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सामान्य गतिविधि</td><td>2120.00</td><td>116.14</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पूँजी निर्माण</td><td>9.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अनुसूचित जाति गतिविधियाँ</td><td>140.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुसूचित जाति वेतन</td><td>142.00</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अनुसूचित जनजाति गतिविधियाँ</td><td>69.00</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अनुसूचित जनजाति वेतन</td><td>70.00</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>4689.09</td><td>260.36</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

V. परिणाम आधारित बजट (परिप्रेक्ष्य एवं कार्य योजना) और निधीयन

क्र.	रा.पु.न्यास की गतिविधि का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय, वर्ष 2021-2022 (रु. करोड़ में)			परिमाणात्मक सुपुर्दगी योग्य भौतिक उत्पादन	पूर्वानुमानित परिणाम	प्रक्रियाएँ / समय सीमा	अभ्युक्तियाँ / जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	**पुस्तकों का प्रकाशन**		2.12		0.00	1200			
	सामान्य प्रोन्नयन								
	गतिविधियाँ								
2.		नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला	3.74		0.00	1	1100000		
3.		राज्य स्तरीय पुस्तक मेला	0.80			06*	352500		

4.		सम्मेलन /कार्यशालाएं सलाहकार नामिका की बैठकें/पुस्तक विमोचन समारोह आदि	0.10			70	8000		
5.		पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र	0.15			0	0		
6.	पुस्तक प्रकाशन के अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन		0.08			02*	190		
7.	क्षेत्रीय कार्यालय		0.65		0	परिमाणात्मक नहीं			
	बिक्री प्रोन्नयन गतिविधियाँ								

8.		राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह प्रदर्शनी, पुस्तक मेलों आदि में न्यास की सहभागिता	0.35			10	21000		
9.		प्रचार/विज्ञापन/समाचार पत्रों का मुद्रण और पठन प्रोन्नयन सामग्री	0.24			परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
10.		खुदरा बिक्री केंद्रों का अनुरक्षण	0.05			0	0		
11.		ग्राम स्तरीय चल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन	0.34			10	75000		
12.	**राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र**		0.17						
(क		विद्यालयों के पाठक क्लब की स्थापना				30000	525000		
(ख		बच्चों की विभिन्न				25	30000		

		गतिविधियों का आयोजन/ उन्मुखी कार्यक्रमों का आयोजन							
13.	सम्मेलनों, पुस्तक संबंधित गतिविधियों आदि हेतु स्वैच्छिक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता		0.13			40	250000		
14.	**अनुसूचित जाति**								
	उप योजना		1.41						
		पुस्तक मेले				02*	8000		
		पुस्तक प्रकाशन पाठ्यक्रम				01*	60		
15.	जनजातीय क्षेत्र उप योजना		0.70						
		पुस्तक मेले				02*	9000		
		पुस्तक प्रकाशन पाठ्यक्रम				01*	40		

16.	**विदेश में भारतीय पुस्तकों का प्रोन्नयन**	पुस्तक मेलों में सहभागिता	0.80			12*	परिमाणात्मक नहीं		
17.	**आर्थिक सहायता**	शीर्षक	0.02			2			
18.	**पंजाबी में पुस्तकों का पुनरुत्पादन**	शीर्षक	0.07			12	48000		
19.	अनुसंधान नवोन्मेष एवं ई-पुस्तकें		0.16			परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
20.	कार्यालय भवन		0.04			परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
21.	वेबसाइट विकास, विज्ञापन एवं प्रचार		0.16			परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
22.	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन		0.09			परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
23.	**पूर्वोत्तर एवं**								

	सिक्किम की विकास परियोजनाएँ			3.00					
(क		पुस्तक मेले				03*	11000		
(ख		पुस्तक प्रकाशन के अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				01*	60		
(ग)		सम्मेलन /कार्यशालाएँ /बाल गतिविधियाँ				परिमाणात्मक नहीं	परिमाणात्मक नहीं		
	कुल		**12.37**	**3.00**					

(*) 2021-22 में भौतिक इकाइयों की उपलब्धि कोविड-19 से संबंधित स्थिति के साथ सशर्त